

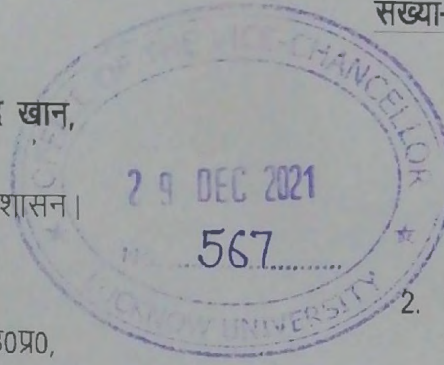
प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।



कुल सचिव का कार्यालय
संख्या 654
दिनांक 30/12/2021
लखनऊ-220007

उच्च शिक्षा अनुभाग-3**लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2021**

विषय:-कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के दृष्टिगत गृह गोपन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2141/2021-सीएक्स-3, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों को निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी :-

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय तथा शिक्षण संस्थानों के कुलसचिव/प्रबन्धक एवं प्राचार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

Registrar

30/12/21
Nikhil G.O.

AR (G.A.) / I/c website

plz check
Reg
31.12.21

प्रमाणित (G.A.)
21/12/2021
(R)

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या-3111 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या- GA/34-60 दिनांक- 01/01/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3111/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 कम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/इंचार्ज।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सहयुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण ल०वि०वि०।
6. वित्त अधिकारी, ल०वि०वि०।
7. निदेशक, विधिक प्रकोष्ठ, ल०वि०वि०।
8. अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०वि०।
9. मुख्य अभिरक्षक, ल०वि०वि०।
10. समस्त अभिरक्षक, ल०वि०वि०।
11. निदेशक, आई०पी०पी०आर० ल०वि०वि०।
12. निदेशक द्वितीय परिसर ल०वि०वि०।
13. इंचार्ज, अभियांत्रिकी संकाय, ल०वि०वि०।
14. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
15. ओ०एस०डी०, आई०एम०एस०, ल०वि०वि०।
16. पुस्तकालयाध्यक्ष, सी०एल०एल०/टैगोर पुस्तकालय, ल०वि०वि०।
17. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव ल०वि०वि०।
18. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

NC
Neeraj
31/12/21
31/12/21
(AR)